प्रकरण संख्याः– 94/2019
माधुगिरी बनाम कमला वगैरहा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 08.01.2026 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मण्डपिया भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तह० एवं जिला भीलवाड़ा की वादग्रस्त आराजी संख्या 244, 245, 246, 503, 505, 506 कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से अनुसार पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 24.01.2024 को आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2025/3287 दिनांक 01.10.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक भू०अ०/ विभाजन / 2057 दिनांक 26.08.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी संख्या 01 को फोन पर सूचित किया गया का अंकन है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादी ने हस्ताक्षर करने से मना किया एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हस्ताक्षर है। मौके पर अन्य मौतबिरान दिनेश कुमार रांका पिता बालुलाल रांका व दर्शन रांका पिता दिनेश रांका के हस्ताक्षर है, जिनको उक्त विभाजन प्रस्ताव पढकर सुनाया गया। प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त आपत्ति/आक्षेप हेतु अवसर दिये गये, वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.01.2026 को आदेशिका पर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्ति की गई। वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं की गई। मौके पर वादी के उपस्थित रहने एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा सहमति दिये जाने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 16/3/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. माधुगिरी पुत्र शंकर गिरी गोसाई निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादी

बनाम

1. कमला गिरी पत्नि सोहन गिरी गोसाई निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. उपपंजीयक कायालय भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
4. दलपत सिंह पिता रतनलाल डांगी निवासी आमलियो की बारी, भीलवाडा।
5. पदम कुमार पिता रतनलाल डांगी निवासी आमलियो की बारी, भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,54–188 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 94/2019 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी उपस्थित। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 16.03.2026 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी के मौके पर उपस्थित रहने एवं प्रतिवादीगण को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

16/3/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा